

तारीख हुक्म

14-9  
23

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष प्राधि. उप.  
प्रतिवादी सं. 11 व 13 को भेजे गए  
सम्मत की जाऊ उन: प्रांत। पत्रावली  
का अवलोकन किया गया। पूर्व में  
प्रतिवादी सं. 11 को भेजे गए सम्मत को  
प्रतिवादी सं. 11 ने लेने से इन्कार किया  
था अतः प्रतिवादी सं. 11 को भेजे गए  
सम्मत को तामिल शुदा माना जाता  
है तथा प्रतिवादी सं. 11 के विरुद्ध एड  
परीय कार्यवाही के आदेश पारित किये  
जाते हैं। वादी प्राधि. मात प्रतिवादी  
सं. 13 के उन: PF मय सम्मत पेश  
किये गये। प्रतिवादी सं. 13 की तामिली  
जारीये रजिस्ट्रार AD से जारी जाकर  
पत्रावली प्रतिवादी सं. 13 की तामिली  
वंत्रार में दिनांक 6/12/23 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
आबुपर्वत (सिरोंही)

6-12  
23

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित  
पीठारसीन अधिकारी.....में हीनें  
से पत्रावली पूर्व आवेश की बालना में आयन्दा  
दिनांक 23/11/23 को पेश हो।

12  
23

13-12  
23

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित  
पीठारसीन अधिकारी.....में हीनें  
से पत्रावली पूर्व आवेश की बालना में आयन्दा  
दिनांक 23/11/23 को पेश हो।

12  
23

3-12

पत्रावली पेश हुई।

वादी प्राधि. उप.।

वादी प्राधि. ने कथन किया कि  
वे वाद विझे करना चाहते हैं।  
अतः वादी का वाद जारीये विझे  
धारित्र किया जाता है। अतः पत्रावली  
सम्मत शुमार होकर नंबर ले कम हो।



Since compromise  
has been reached  
between the  
parties therefore  
the plaintiff  
withdraws his  
suit  
3/11/2024

सहायक कलेक्टर  
(सिरोंही)